न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 135/2020(2020/00135)

अनवान : –

1. प्रहलाद पुत्र केहरसिंह जाति जाट निवासी लाखनबास तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. केहरसिंह पुत्र मिसरी जाति जाट निवासी लाखनबास तहसील भादरा।
2. जोगेन्द्र पुत्र केहरसिंह जाति जाट निवासी लाखनबास तहसील भादरा।
3. मदन पुत्र केहरसिंह जाति जाट निवासी लाखनबास तहसील भादरा।
4. उर्मिला पुत्री पुत्र केहरसिंह जाति जाट निवासी लाखनबास तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री लीलाधर अग्रवाल **वादी**
श्री कृष्ण भारी **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक : 19/02/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 10 जेएसएल के वर्तमान खाता संख्या 42/40 के मुरब्बा न0 136 के किला न0 7 ता 9, 12 ता 14, 18, 19, 22, 23 इस प्रकार कुल किता 10 की कुल 2.530 हैक्टेयर, इसी प्रकार चक 11 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 38/35 के मुरब्बा न0 40 के किला न0 18 ता 23, मु0 न0 41 के किला न0 16 ता 19, 22 ता 25, मु0 न0 63 के किला न0 2 ता 9, 12 ता 17, मु0 न0 64 के किला न0 1 ता 4, 6 ता 20 इस प्रकार कुल किता 47 की कुल 11.040 हैक्टेयर, इसी प्रकार चक 6 जेएसएल के खाता संख्या 32/26 के मु0 न0 111 के किला न0 9/1, 9/2, 10, 11/1, 11/2, 12, 20/1, 20/2 के कुल किता 8 की कुल 1.177 हैक्टेयर कृषि भूमि [illegible] संख्या 1 केहरसिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.09.24 10:23:24 IST
Reason: SelfAttested

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम [illegible] हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा मिसरी की खातेदारी हुआ करती थी। मिसरी से विरास्तन वादभूमि जो प्रतिवादी केहरसिंह ने कर्ता

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी केहरसिंह ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी केहरसिंह के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 केहरसिंह को वादी के दादा मिसरी से विरासतन प्राप्त हुई है। जमाबन्दी खतौनी चक 6 जेएसएल सम्वत 2029–38 के खाता संख्या 68, चक 11 जेजीडब्ल्यू सम्वत 2029–38 खाता संख्या 89 व चक 10 जेएसएल सम्वत 2036 खाता संख्या 19 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी प्रहलाद पुत्र केहरसिंह जाति जाट निवासी लाखनबास तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी चक 6 जेएसएल सम्वत 2073–76 खाता संख्या 32 प्रदर्श 1, जमाबन्दी 11 जेजीडब्ल्यू सम्वत 2071–74 खाता संख्या 38/35 प्रदर्श 2, जमाबन्दी 10 जेएसएल सम्वत 2073–76 खाता संख्या 42/44 प्रदर्श 3, जमाबन्दी भू प्रबन्ध विभाग चक 6 जेएसएल सम्वत 2029–38 खाता संख्या 68 प्रदर्श 4, जमाबन्दी भू प्रबन्ध विभाग चक 11 जेजीडब्ल्यू सम्वत 2029–38 खाता संख्या 89 प्रदर्श 5, नामान्तरकरण रजिस्टर 10 जेएसएल प्रविष्टि संख्या 38 प्रदर्श 6, जमाबन्दी खतौनी चक 10 जेएसएल सम्वत 2036 खाता संख्या 19 प्रदर्श 7, सदस्यता प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सागड़ा द्वारा जारी प्रदर्श 8 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.09.24 10:23:24 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस ... मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। ... वादी ने रोही मौजा चक 10 जेएसएल के वर्तमान खाता संख्या 42/40 के मुरब्बा न0 136 के किला न0 7 ता 9, 12 ता 14, 18, 19, 22, 23 इस प्रकार कुल किता 10 की कुल 2.530 हैक्टेयर, इसी प्रकार चक 11 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 38/35 के मुरब्बा न0 40 के किला न0 18 ता 23, मु0 न0 41 के किला न0 16 ता 19, 22 ता 25, मु0 न0 63 के किला

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

न0 2 ता 9, 12 ता 17, मु0 न0 64 के किला न0 1 ता 4, 6 ता 20 इस प्रकार कुल किता 47 की कुल 11.040 हैक्टेयर, इसी प्रकार चक 6 जेएसएल के खाता संख्या 32/26 के मु0 न0 111 के किला न0 9/1, 9/2, 10, 11/1, 11/2, 12, 20/1, 20/2 के कुल किता 8 की कुल 1.177 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 केहरसिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 10 जेएसएल के वर्तमान खाता संख्या 42/40 के मुरब्बा न0 136 के किला न0 7 ता 9, 12 ता 14, 18, 19, 22, 23 इस प्रकार कुल किता 10 की कुल 2.530 हैक्टेयर, इसी प्रकार चक 11 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 38/35 के मुरब्बा न0 40 के किला न0 18 ता 23, मु0 न0 41 के किला न0 16 ता 19, 22 ता 25, मु0 न0 63 के किला न0 2 ता 9, 12 ता 17, मु0 न0 64 के किला न0 1 ता 4, 6 ता 20 इस प्रकार कुल किता 47 की कुल 11.040 हैक्टेयर, इसी प्रकार चक 6 जेएसएल के खाता संख्या 32/26 के मु0 न0 111 के किला न0 9/1, 9/2, 10, 11/1, 11/2, 12, 20/1, 20/2 के कुल किता 8 की कुल 1.177 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 केहरसिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। **उसमें वादी प्रहलाद व प्रतिवादी संख्या 1 केहरसिंह, प्रतिवादी संख्या 2 जोगेन्द्र, प्रतिवादी संख्या 3 मदन को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्से में त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.09.24 10:23:24 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 13/08/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़